न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :— 105/2008 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :— 2008/00004

उनवान

1. चन्द्र सिंह } पुत्र नेकराम
2. राजपाल }
3. कीर्ति वेवा नेकराम
4. अंगूरी वेवा अजीत
5. परसराम पुत्र अजीत
6. सुगित्रा } पुत्री अजीत
7. दीपा }

जाति जाट साकिन ग्राम तमरौली तह0 व जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 25.07.2008 प्रकरण संख्या 133/08 उनवान चन्द्र सिंह बनाम सरकार न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर।

उपस्थित :—

1. श्री तालेराम अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. पैरोकार सरकार अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :—18.10.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय दिनांक 25.07.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 95 जो कि साविक खसरा नम्बर 112 से निर्मित हुआ है पर वादी अपीलाण्ट संवत 2012 से ता हाल तक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी अपीलाण्ट को बतौर गैर खातेदार अंकित कर रखा है जो खिलाफ मौका व कानून गलत है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2008 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। दौराने बहस, बार बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद पैरोकार सरकार उपस्थिति नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा संवत 2012 से ता हाल तक चला आ रहा है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। विवादित आराजी पर वर्तमान में भी अपीलाण्ट का ही कब्जा काश्त है व लगान अदा कर रहे हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट का कब्जा ना मानने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु तीन तनकियॉ कायम की गयी हैं। जिनमें तनकी नम्बर 01 वादी के वाद को सिद्ध करने के लिये महत्वपूर्ण तनकी है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

5. <u>तनकी संख्या 01</u> – वादी/अपीलाण्ट ने अपने वाद को सिद्ध करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में खसरा गिरदावारी संवत 2013–17 पेश की है। परन्तु उक्त खसरा गिरदावरी में वादी/अपीलाण्ट के पूर्वज के नाम दर्ज नहीं हैं। वैसे भी खसरा गिरदावरी अधिकार अभिलेख की श्रेणी में नही आता है और न ही खसरा गिरदावरी के इन्द्राज से किसी के अधिकार तय किये जा सकते हैं। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2012 में ही वादी/अपीलाण्ट अथवा उनके पूर्वजो के नाम अंकित है एवं ना ही जवाब दावा के अनुसार विवादित आराजी पर उनका कब्जा काश्त ही प्रमाणित है। जहॉ तक संवत 2018–2021 की जमाबन्दी के अंकनो का प्रश्न है ? उसमें विवादित आराजी पर नेका बल्द रामसरन कौम फौजदार साकिन तमरौल गैर खातेदार दर्ज हैं। परन्तु वादी/अपीलाण्ट द्वारा उक्त नाम के गलत होने एवं नेका बल्द रामसरन व नेकराम बल्द रामकिशन एक ही व्यक्ति होने बाबत् ना तो कोई प्रमाणित दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है एवं ना ही हस्तगत अपील में ही प्रस्तुत किया है। इसके अलावा स्वयं नेकराम ने अधीनस्थ न्यायालय में नेकराम नाम से ही दावा पेश किया है एवं वकालतनामा भी नेकराम के नाम से ही लगाया गया है ना कि नेकराम उर्फ नेका के नाम से। इस प्रकार वादी/अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिसके आधार पर उन्हें विवादित आराजी पर काबिज और गैर खातेदार माना जा सके। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही तनकी विरूद्ध वादी/अपीलाण्ट तय की है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

6. <u>तनकी संख्या 02</u>– तनकी संख्या 01 के निर्णय से प्रभावित होती है। अतः विवेचना किया जाना प्रासंगिक नहीं है।

7. अनुतोष – समस्त तनकियात का निस्तारण हो चुका है। वादी/अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। जिसे हम किसी भी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2008 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18-10-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर